

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0


प्रथम पक्ष - सीमा टोप्पो ..... ।

बनाम

वाद सं0 80/2022

द्वितीय पक्ष - घुरन उरॉव ..... बगौरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/2/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 39/2022 दिनांक 05/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) सीमा टोप्पो उम्र 28 वर्ष पति प्रकाश टोप्पो, ग्राम सतखारी (2) महोदरी देवी उम्र 60 वर्ष पति शनिचर उरॉव ग्राम टेंगरिया खिजुरटोली, थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) घुरन उरॉव उम्र 50 वर्ष पिता स्व० सुकरा उरॉव (2) बंधनी देवी उम्र 48 वर्ष पति घुरन उरॉव (3) संजय उरॉव उम्र 25 वर्ष पिता घुरन उरॉव तीनों ग्राम टेंगरिया खिजुरटोली थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच जमीन पालकोट थाना कांड सं० 35/2022 दिनांक 03/06/2022 धारा 341/323/325/307 भा० द० वि० को लेकर लडाई झगडा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (गुमला)।